



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

CIN: U40101UP2004SGC028687

संख्या: 1177-पारे०अनु०-०४/पाद्रकालि/2021-(74)/2013

दिनांक: ०५, जनवरी, २०२२

निदेशक
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन,
लखनऊ

निदेशक,
कोषागार,
कोषागार निदेशालय,
लखनऊ

निदेशक
वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय,
जवाहर भवन,
लखनऊ

विषय:- उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक ०१.०१.२०१६ से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक ०१ जुलाई, २०२१ से महंगाई राहत की एक और किश्त स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ०प्र० राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को उत्तर प्रदेश वेतन समिति २०१६ की संस्तुतियों के अधीन निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार संशोधित/स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक ०१ जुलाई, २०२१ से महंगाई राहत की ०३ प्रतिशत की एक और किश्त अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति वित्त (सामान्य) अनुभाग-३, उ०प्र० शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-२४/२०२१-सा-३-८०४/दस-२०२१-३०१/२००० टीसी, दिनांक २२.१२.२०२१ द्वारा प्रदान की गयी है। राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य महंगाई राहत में उपर्युक्त बढोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की दर दिनांक ०१ जुलाई, २०२१ से २८ प्रतिशत से बढ़कर ३१ प्रतिशत हो गई है।

उक्त के अनुक्रम में उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक ०१ जनवरी, २०१६ से देय पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेश की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्रम संख्या	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर (मासिक)
१.	०१ जुलाई, २०२१	०३ प्रतिशत	३१ प्रतिशत

- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजर अंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा उसके अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में मान लिया जायेगा।
- दिनांक ०१ जनवरी, २०१६ से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।
- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या-१०५४-डल्लू०सी०/रा०वि०प०(औ०स०/उन्नीस)-१४(२३)एफ/८५, दिनांक १६ जून, १९८८ में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः अधिकारियों/राजकीय कोषागार द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अनुसार महंगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।
- महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(ए०के० पुरवार)
निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)

(क्रमशः.....२)

(2)

संख्या : 1177 (1)-पारे0अनु0-04/पाट्राकालि/21-74/2013/तददिनांक :

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
7. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
10. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- ✓13. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।



(अनिल पाठक)

उप सचिव (पारेषण-तृतीय)